भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 190

दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

जनगणना रजिस्टर को अद्यतन करना

†190. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों को जनगणना रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की अनुसूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, क्या यह भी सच है कि कई राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने एनपीआर को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन अधिनिम (सीएए) के साथ जोड़ने का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना 2021 को दो चरणों में कराने का निर्णय लिया था, अर्थात, (क) अप्रैल से सितंबर, 2020 के दौरान मकानसूचीकरण और मकानों की गणना और (ख) 9 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान जनसंख्या गणना। जनगणना के पहले चरण के साथ नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को भी अपडेट करने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अपडेशन कार्य के दौरान प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण अपडेट/एकत्र किए जाने थे। इस कार्य के दौरान कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाना है। एनपीआर को तैयार करने के संबंध में जिन राज्यों को चिंताएं थीं, उनके साथ सरकार चर्चा कर रही थी। कोविड-19 के प्रकोप के कारण, जनगणना के पहले चरण, एनपीआर के अपडेशन और अन्य संबंधित क्षेत्रीय गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है।

****